<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>24/09/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आँचलिक कार्यालय ने 24.09.2024 को मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 85.88 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और बीड जिलों में स्थित आवासीय फ्लैट, वाणिज्यिक कार्यालय स्थान और भूखंड के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने मई से जुलाई, 2024 के महीनों के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा आईपीसी, 1860 और एमपीआईडी अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) के माध्यम से सुरेश कुटे और अन्य द्वारा निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। आज तक दर्ज और सत्यापित एफआईआर के अनुसार, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की अनुमानित राशि लगभग 168 करोड़ रुपये है।

डीएमसीएसएल का प्रबंधन और नियंत्रण सुरेश ज्ञानोबाराव कुटे, यशवंत वी कुलकर्णी और अन्य द्वारा किया जाता था। इसने विभिन्न जमा योजनाएं शुरू कीं और 12% से 14% तक ब्याज देने का दावा किया। सोसायटी ने कई अन्य योजनाएं भी शुरू कीं, जैसे व्यक्तिगत ऋण, सरल ऋण, वेतन ऋण, सावधि ऋण, स्वर्ण ऋण और एफडीआर ऋण आदि। जांच के दौरान पाया गया कि सुरेश कुटे और अन्य ने भोले-भाले निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके डीएमसीएसएल में पैसा जमा करने के लिए लुभाया, हालांकि, जमा राशि परिपक्व होने पर निवेशकों को कोई भुगतान नहीं किया गया या केवल आंशिक भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक साजिश रचकर सोसायटी के प्रबंधन ने अपने निजी लाभ के लिए निवेशकों को धोखा दिया और उनके धन का गबन किया।

ईडी की जाँच से पता चला है कि डीएमसीएसएल के निवेशकों को धोखा देकर अर्जित अपराध की आय को सुरेश कुटे और अन्य लोगों ने अपने निजी लाभ के तहत विभिन्न अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए लूटा।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 9.08.2024 और 20.09.2024 को भी तलाशी अभियान चलाया था और 9.2 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति को फ्रीज करने के साथ-साथ विभिन्न अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त किया था। इस मामले में कुल फ्रीजिंग/जब्ती और कुर्की की राशि 95.1 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।